

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....सुपौल....., सं0.....208....., सन्2023.....

केस का प्रकार.....आपूर्ति पुनरीक्षण.....(प्रियवत नारायण यादव बनाम राज्य एवं अन्य).....

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the court	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.4.2026	<p>राज्य उपस्थित ।</p> <p>प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No-1010/2023 में दिनांक-16.05.2023 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय, समाहर्ता, सुपौल के आपूर्ति अपील वाद संख्या-06/2022 (प्रियवत नारायण यादव बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल) में दिनांक-22.08.2022 को पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है । LCR प्राप्त है ।</p> <p>Petitioner विगत 18 (अठारह) तिथियों से सुनवाई में अनुपस्थित हैं । सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा वाद में अभिरूचि नहीं ली जा रही है । उनकी ओर से दिनांक-20.02.2026 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है ।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया । दिनांक-20.02.2026 को पारित आदेश/वादी का इस वाद की कार्यवाही में अभिरूचि नहीं रहने के आलोक में इस पुनरीक्षण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है ।</p> <p>आदेश की प्रति सभी संबंधितों को दी जाय । LCR निम्न न्यायालय को वापस भेजें ।</p> <p style="text-align: right;">P. K. आयुक्त 24/4/26. कोशी प्रमंडल, सहरसा ।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धित ।</p> <p style="text-align: center;">P. K. आयुक्त 24/4/26. कोशी प्रमंडल, सहरसा</p>	

